

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, फतेहपुर की एक एम्बेसडर कारें पेट्रोल, रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 14 E 8444 एवं UP 14 E 8111 , जहाँ है, जैसी है की स्थिति में दिनांक 16.01.2018. को 02.00 बजे दोपहर नीलाम की जानी है। उपरोक्त शासकीय वाहनों का आरक्षित मूल्य क्रमशः रु 18000/- व रु 15000/- है। इच्छुक क्रेतागण जनपद न्यायालय, फतेहपुर में किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति से वाहन का निरीक्षण कर सकते हैं। बोली लगाने वाले इच्छुक क्रेतागण को बोली से पूर्व रु 5000/- (रु पाच हजार) धरोहर राशि जमा करनी होगी। अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को कुल बोली के मूल्य का 25% तुरन्त जमा करना होगा और शेष धनराशि नीलामी अनुमोदित होने के पश्चात तीन दिन के अन्दर जमा करके वाहन जहाँ है जैसी है, उसी दशा में उठाना होगा तथा अन्य क्रेतागण की धरोहर राशि तुरन्त वापस कर दी जायेगी। सभी प्रकार के कर आदि अदा करने का उत्तरदायित्व क्रेता का होगा और परिवहन विभाग में वाहन अपने नाम 15 दिन के अन्दर पंजीकृत कराकर जनपद न्यायालय, फतेहपुर को सूचना देनी होगी। जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर दें।

प्रभारी अधिकारी, नजारत

जनपद न्यायालय, फतेहपुर।

नोटिस की प्रति निम्न को अपने-अपने नोटिस बोर्ड पर आम जनता के सूचनार्थ चस्पा हेतु प्रेषित।

1. विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर), माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को इस सूचना को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराए जाने के अनुरोध के साथ प्रेषित।
2. नाजिर सदर कलेक्ट्रेट फतेहपुर।
3. नाजिर सदर, विकास भवन फतेहपुर।
4. नाजिर तहसील सदर फतेहपुर।
5. जिला सूचना अधिकारी, फतेहपुर।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर।
7. सम्पादक दोआबावार्त निशुल्क प्रकाशन हेतु।
8. सम्पादक कानपुर उजाला निशुल्क प्रकाशन हेतु।
9. रेलवे स्टैन्ड पर चस्पा हेतु।
10. बस स्टैन्ड पर चस्पा हेतु।
11. नोटिस बोर्ड नजारत पर चस्पा हेतु।
12. प्रभारी अधिकारी, अमीन जनपद न्यायालय, फतेहपुर।

*12/1/18*